अध्याय VI : सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय

6.1 किराया बकायों की गैर-वसूली

फिल्म प्रभाग, मुंबई द्वारा बंद तथा समाप्त प्रदर्शकों से कुल ₹ 60.73 लाख के किराया प्रभारों की वसूली नहीं की गई।

चलचित्रदर्शी अधिनियम, 1952 की धारा 12(4) प्रावधान करती है कि केन्द्र सरकार किसी भी फिल्म अथवा फिल्म की श्रेणी की प्रदर्शनी को नियंत्रित करने के उद्देश्य से, समय-समय पर आमतौर पर लाइसेंसधारियों अथवा विशिष्ट किसी लाइसेंसधारी को निर्देश जारी करें जिससे की वैज्ञानिक फिल्मे, शैक्षणिक उद्देश्य हेतु अभिप्रेत फिल्में, समाचार तथा वर्तमान घटनाओं से संबंधित फिल्में, वृत्त चित्र अथवा स्वदेशी फिल्में प्रदर्शित किए जाने का पर्याप्त अवसर प्राप्त कर सके। जहाँ ऐसे कोई भी निर्देश जारी किए गए है वहाँ ऐसे निर्देशों को अतिरिक्त शर्तें तथा प्रतिबंध माना जाएगा जिसके तहत लाइसेंस प्रदान किया गया था।

चलचित्रदर्शी अधिनियम,1952 ने पूरे देश में वृत्त चित्रों के प्रदर्शन को अनिवार्य किया था। सिनेमा घरों द्वारा स्वीकृत फिल्मों की अनिवार्य प्रदर्शनी की योजना ने सिनेमा घरों को नियमित अंतराल पर ऐसी स्वीकृत फिल्मों की आपूर्ति करने हेतु सरकार की ओर से एक बाध्यता लागू की। फिल्म प्रभाग एक राष्ट्रीय निकाय था जिसने पूरे देश में फैले थिएटरों में प्रत्येक शुक्रवार 15 राष्ट्रीय भाषाओं में वृत्तचित्र, समाचार आधारित फिल्मे अथवा एनिमेशन फिल्मों को जारी किया।

प्रदर्शको अर्थात् सिनेमा घरों को थिएटर के अपने निवल संग्रहण की निधारित प्रतिशतता पर परिकलित किराया प्रभारों को फिल्म प्रभाग को अदा करना था। इस उद्देश्य हेतु फिल्म प्रभाग तथा प्रदर्शको को प्रदर्शनी हेतु फिल्मों की आपूर्ति के लिए करार करना था। करार के निबंधन एवं शर्तें निम्नलिखित थी:

- प्रदर्शक फिल्मों की आपूर्ति के प्रति वितरकों को अपने निवल साप्ताहिक संग्रहण के एक प्रतिशत की दर पर किराया अदा करेंगे।
- करार की निरंतरता के दौरान किसी भी समय, यदि प्रदर्शक समय पर किराया अदा करने में विफल हुआ तो वितरक प्रदर्शन के लागत, जोखिम एवं जवाबदेही पर अपने पास तैयार फिल्म रखकर चूककर्ताओं को फिल्मों की आपूर्ति रोक

देगा तथा प्रदर्शक किराए सहित वितरक द्वारा तैयार फिल्मों को रखने से हुई सभी क्षतियों को अदा करने का उत्तरदायी होगा।

- यदि एक प्रदर्शक द्वारा वितरक को अदा करने योग्य बकाया संग्रहित प्रतिभूति जमा के दो तिहाई से अधिक हो जाएगा तो वितरक को करार को समाप्त करना होगा तथा प्रदर्शक को फिल्मों की आपूर्ति रोकनी होगी। प्रदर्शक द्वारा वितरक को किराए का समय पर भुगतान न करने पर, यदि वितरक मांग करता है तो प्रदर्शक वितरक को आठ प्रतिशत प्रति वर्ष की दर पर ऐसे किराए का भुगतान न करने की तिथी से वास्तविक भुगतान की तिथि तक परिकलित किराए के सभी बकायों पर ब्याज अदा करेगा।

फिल्म प्रभाग, मुंबई के अभिलेखों की लेखापरीक्षा संवीक्षा ने प्रकट किया कि जून 2000 से जुलाई 2009 की अवधि के दौरान महाराष्ट्र एवं गुजरात राज्य में 20 तथा 15 थिएटरों को क्रमशः बंद[1] तथा समाप्त[2] कर दिया गया था। किराया प्रभारों के कारण इन 35 प्रदर्शकों के संबंध में 1996 से कुल बकाया राशि ₹ 60.73 लाख थी **(अनुबंध-XVII)**। लेखापरीक्षा ने पाया कि किरायों की वसूली को फिल्म प्रभागों द्वारा मॉनीटर नहीं किया गया था जिसका परिणाम इन बकायों के संचयन में हुआ था। फिल्म प्रभाग ने प्रदर्शकों के साथ करार को समर्थ करने वाले प्रावधानों की याचना नहीं की थी कि एक बार देय बकाए संग्रित प्रतिभूति जमा से अधिक हो जाए तो करार रद्द कर दिया जाएगा तथा फिल्मों की आपूर्ति रोक दी जाएगी। किराए के भुगतान के बिना प्रदर्शकों को थिएटरों का संचालन करने की अनुमति थी जिसका परिणाम कुल ₹ 60.73 लाख के राजस्व के बकायों के संचयन में हुआ।

मामला मंत्रालय के संज्ञान में लाया गया था (सितम्बर 2011) जिसने तथ्यों एवं आंकड़ों को सुनिश्चित किया (नवम्बर 2011) तथा बताया कि फिल्म प्रभाग तथा फिल्म प्रभाग के संबंधित शाखा कार्यालयों को सूचित किए बिना थिएटरों को बंद/समाप्त कर दिया गया था। यद्यपि फिल्म प्रभाग बकायों की वसूली हेतु इन थिएटरों के प्रबंधनों के साथ कार्रवाई कर रहे थे फिर भी इसकी वसूली संभव नहीं थी। मंत्रालय ने आगे बताया कि संबंधित जिला के जिला अधीक्षकों, जिसे लाईसेंस प्रदान करने का प्राधिकार था, को इन थिएटरों के लाईसेंस का नवीकरण न करने तथा फिल्म प्रभागों के बकाया देयों को वसूल करने हेतु अनुरोध किया गया था (जनवरी 2012)। बकायों की वसूली के संबंध में मामले का जिला प्राधिकरणों के साथ प्रभावशाली रूप से उठाया जा रहा था।

---

[1] बद किए गए प्रदर्शक- प्रदर्शक, जिन्होंने फिल्म प्रभाग द्वारा वितरित किए जाने वाले फिल्मों की प्रदर्शनी को बंद कर दिया।

[2] समाप्त किए गए-वह प्रदर्शक जिन्होंने घाटा इत्यादि के कारण अपना थियेटर बंद कर दिया।

उत्तर चूककर्ता थिएटरों के प्रति सामयिक कार्रवाई न किए जाने के कारणों को प्रकट नहीं करता है। तथ्य रहता है कि फिल्म प्रभाग द्वारा वसूलिया करार के अनुसार नहीं की गई थीं। थिएटरों ने काफी देर में फिल्मों की प्रदर्शनी को समाप्त अथवा बंद किया था।

इस प्रकार, किराया प्रभारों की वसूली को उचित रूप से मॉनीटर करने में फिल्म प्रभाग की विफलता ₹ 60.73 लाख राशि के राजस्व की गैर-वसूली का कारण बनी।